भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2705
17.03.2025 को उत्तर के लिए

वन भूमि पर निर्माण के लिए मानदंड

2705. श्री अब्दुल रशीद शेख :

क्या **पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वनों में या उनके आसपास रहने वाले लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं;
(ख) वन भूमि के अधिकार क्षेत्र में आंशिक/पूर्ण रूप से आने वाले क्षेत्रों में विद्यालयों/अस्पतालों या खेल स्टेडियमों के निर्माण के लिए क्या मानदंड हैं; और
(ग) क्या सरकार की जम्मू और कश्मीर संघ शासित प्रदेश तथा देश के अन्य भागों में स्थानीय लोगों को वनों से जड़ी-बूटियां तथा सूखी लकड़ियां निकालने की अनुमति देने की कोई योजना है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 इस बात पर जोर देती है कि वनों में तथा इनके आस-पास रहने वाले आदिवासियों एवं अन्य गरीब लोगों का जीवन वनों के इर्द-गिर्द रहता है और उन्हें मिलने वाले अधिकारों और रियायतों की पूरी तरह से रक्षा की जानी चाहिए। आदिवासी लोगों और वनों के बीच सहजीवी संबंधों को ध्यान में रखते हुए, इस नीति में वनों के संरक्षण, पुनर्जनन और विकास में आदिवासी समुदायों को घनिष्ठ रूप से जोड़ने के साथ-साथ वनों में या उसके आसपास रहने वाले लोगों को लाभकारी रोजगार प्रदान करने पर भी जोर देती है।

अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 वन में रहने वाले आदिवासी समुदायों और अन्य पारंपरिक वनवासियों के वन संसाधनों पर अधिकारों को मान्यता देता है, जिस पर ये समुदाय आजीविका, निवास और अन्य सामाजिक-सांस्कृतिक आवश्यकताओं सहित अन्य विभिन्न जरूरतों के लिए निर्भर थे। इस अधिनियम में स्व-खेती और निवास के अधिकार, सामुदायिक अधिकार और साथ ही पारंपरिक प्रथागत अधिकारों की मान्यता और संधारणीय उपयोग के लिए किसी भी सामुदायिक वन संसाधन की रक्षा, पुनर्जनन या संरक्षण या प्रबंधन का अधिकार शामिल है।

(ख) अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 की धारा 3 (2) में सरकार द्वारा प्रबंधित तेरह प्रकार की सुविधाओं अर्थात् स्कूल, डिस्पेंसरी या अस्पताल, आंगनवाड़ी, उचित मूल्य की दुकानें, बिजली तथा दूरसंचार लाइनें, टैंक तथा अन्य छोटे जल निकाय, पेयजल आपूर्ति और पानी की पाइपलाइनें, जल या वर्षा जल संचयन संरचनाएं, लघु सिंचाई नहरें, ऊर्जा के गैर-पारंपरिक स्रोत, कौशल उन्नयन या व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र, सड़कें और सामुदायिक केंद्र के लिए वन भूमि के विपथन का उपबंध है तथा इस शर्त के अधीन विपथित की जाने वाली वन भूमि प्रत्येक मामले में एक हेक्टेयर से कम हो; और ऐसी विकासात्मक परियोजनाओं की अनुशंसा ग्राम सभा द्वारा की जाती है।

वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुसार, किसी भी गैर-वानिकी प्रयोजनों के लिए वन भूमि का उपयोग करने के लिए केंद्र सरकार का पूर्व अनुमोदन आवश्यक है।

(ग) अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के उपबंधों के अनुसार, पारंपरिक रूप से गांव की सीमाओं के भीतर या बाहर एकत्र किए गए सभी लघु वन उपज (एमएफपी) के स्वामित्व, संग्रहण, उपयोग और निपटान का अधिकार सभी वन भूमि पर अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों के पास निहित है।

*****